

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बहादुरपुर

:- आदेश :- उम्मेद 32 2017

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बहादुरपुर व भूअ.नि. कनेड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोटरा / नायब तहसीलदार करापुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बहादुरपुर तहसील सपोटरा व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 21 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
०५	<u>बहादुरपुर</u>	21	<u>गंगाधरपुत्र तुलास्मा जगदी चमार</u>	<u>गंगाधर पुत्र तुलास्मा जगदी चमार</u>

पीठासीन अधिकारी (SDM)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक:- 18/5/17

क्रमांक:- सपोटरा/2017/32-34

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोटरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गंगाधरपुत्र तुलास्मा जगदी चमार को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी (SDM)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर,

18/5/17

